



अनुबंध¹

I. बैंकों द्वारा संकलित की जानेवाली सूचना

सारणी 1: प्रत्येक एसएचजी सदस्य से संकलित की जानेवाली सूचना, जहां एसएचजी सदस्य को प्रदान किए गए या उसके द्वारा लिए गए ऋण की राशि 30000 रुपये² से अधिक है

अपेक्षित ब्यौरे	दिए गए ब्यौरे	आधार	द्वितीय चरण के दौरान संशोधन
I. ऋणेतर सूचना			
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा उपलब्ध कराया जाए	
2. एसएचजी का बचत बैंक खाता संख्या		एसएचजी सदस्य द्वारा उपलब्ध कराया जाए	
3. एसएचजी की ऋण खाता संख्या		बैंकों द्वारा आबंटित की जाए	
4. एसएचजी सदस्य का नाम		बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान प्रलेख या बैंक के रिकार्ड के अनुसार	
5. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान पत्र दस्तावेज़		आधार कार्ड सं./ मतदाता पहचानपत्र/ पैन/ ड्राइविंग लाईसेंस/ नरेगा कार्ड/ पासपोर्ट ³	

¹ इस अनुबंध में निर्धारित फॉर्म अपेक्षित सूचना दर्शाने के लिए दिए गए हैं तथा किसी भी प्रारूप में डिजिटाइज किए जा सकते हैं, बशर्ते इसमें दर्शाए गए सभी ब्यौरे संकलित किए गए हों।

² नए एसएचजी को ऋण मंजूर करते समय या मौजूदा एसएचजी को मौजूदा ऋण का नवीकरण करते समय या अतिरिक्त ऋण प्रदान करते समय संकलित किया जाए। एसएचजी ऋण क्षेत्र में 10% से अधिक सकल एनपीए अनुपात वाले बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से इस और अगली सारणी में उल्लिखित सूचना/डेटा के संकलन के लिए निम्नतर प्रारंभिक सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। इस राशि में सदस्य की अपनी बचत में से कोई सब्सिडी या मार्जिन, जो उस क्रियाकलाप या प्रयोजन के निधीयन के लिए लगाया गया हो, जिसके लिए ऋण लिया गया है, को शामिल नहीं किया जाएगा (आगे या पीछे के दोनों सिरों के लिए)।

³ बैंक विशेष रूप से यह देखें कि क्या कोई एसएचजी सदस्य रिजर्व बैंक द्वारा पहचान के प्रमाण के रूप में सरल उपायों की शुरुआत करने तथा छोटे जमा खातों / बेसिक बचत बैंक जमा खाता प्रदान करने से संबंधित बैंकिंग विनियमन विभाग का 25 फरवरी 2016 के परिपत्र बैंकिंग वि. एम. एल. बी.सी. सं.81/14.01.001/2015-16 के दायरे में आ रहा है। जहाँ भी एसएचजी का कोई सदस्य इस तरह का खाता खोलने का इच्छुक हो, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार केवाईसी किया जाए तथा सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री तथा सीआईसी को सूचित किया जाए। यदि बचत बैंक खाता खोलते समय एसएचजी के सदस्य के बारे में पहले ही केवाईसी किया जा चुका हो, तो कोई दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं है।



6. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या, यदि है		दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक	
7. पिता / पति का नाम		बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज के अनुसार	
8. स्त्री या पुरुष		एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किए गए अनुसार	
9. जन्म तिथि (यदि पहचान प्रलेख पर मुद्रित हो)		तिथि/ माह /वर्ष	
10. पता (संपूर्ण पता राज्य कोड और पिन कोड सहित)		घोषणा आधार पर ⁴	
11. अन्य विद्यमान बैंक खातों की जानकारी		घोषणा आधार पर	
12. शिक्षा का स्तर	<u>प्रयोग किया जाने वाला कोड</u> निरक्षर : 1 5 वीं उत्तीर्ण : 2 8 वीं उत्तीर्ण : 3 10वीं उत्तीर्ण : 4 10वीं से अधिक: 5	घोषणा आधार पर	
13. पेशा	<u>प्रयोग किया जानेवाला कोड</u> गृहिणी : 1 भूमिहीन श्रमिक : 2 सीमांत कृषक : 3 छोटे कृषक : 4	घोषणा आधार पर	
14. वार्षिक आय (हजार रु में)		घोषणा आधार पर	

⁴ जब भी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का गठन होता है, बैंकों को उससे यह जानकारी प्राप्त करनी है।



15. सामाजिक स्तर	<u>प्रयोग किया जाने वाला कोड</u> अजा: 1 अजजा: 2 अपिव: 3 सामान्य : 4	घोषणा आधार पर	
16. मोबाईल नंबर (यदि हो)		घोषणा आधार पर	

II. ऋण संबंधी सूचना⁵			
17 मौजूदा ऋण के बारे में सूचना- अन्य एसएचजी के माध्यम से जहां व्यक्ति एक सदस्य है। 17.1 एसएचजी खाते की स्थिति <input type="checkbox"/> एसएचजी का नाम <input type="checkbox"/> एसएचजी की ऋण खाता संख्या <input type="checkbox"/> ऋण देनेवाले बैंक का नाम <input type="checkbox"/> उधार ली गई राशि <input type="checkbox"/> बकाया राशि <input type="checkbox"/> खाते की स्थिति <input type="checkbox"/> नियमित <input type="checkbox"/> चूककर्ता <input type="checkbox"/> चुकौती की <input type="checkbox"/> न्यायाधीन		बैंक द्वारा सीआईसी से प्राप्त की गई रिपोर्ट या बैंक की रिपोर्ट (सीआईसी रिपोर्ट न होने की स्थिति में) के आधार पर बैंक द्वारा सीआईसी से प्राप्त की गई रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर	

⁵ लागू नहीं, यदि समूह का ऋण रु.1,00,000/- तक हो।



<p>17.2 यदि चूक हो, एसएचजी सदस्य के ऋण खाता की स्थिति, यदि एसएचजी ऋण उसे वितरित किया गया है⁶</p> <ul style="list-style-type: none">• एसएचजी का नाम• ऋण देनेवाले बैंक का नाम• उधार ली गई राशि• बकाया राशि			<p>चरण I में एसएचजी सदस्य के ऋण खाते की स्थिति केवल तभी पूछी जाए, यदि एसएचजी खाता चूक खाता हो।</p> <p>चरण II में एसएचजी ऋण खाते की स्थिति पर ध्यान दिए बिना एसएचजी सदस्य के खाते की स्थिति पूछी जाए, यदि उसे एसएचजी ऋण वितरित किया गया है। [सीआईसी रिपोर्ट, यदि उपलब्ध है, पर आधारित; अन्य मामलों में एसएचजी के पत्र पर निर्भर किया जाए]</p>
<p>18 बैंक द्वारा एसएचजी को प्रदान किए गए समूह ऋण में से लिए जाने वाले ऋण की प्रस्तावित राशि⁷</p>		<p>एसएचजी के अध्यक्ष / सचिव का पत्र। इसे बैंक द्वारा बाद में सत्यापित किया जाए।</p>	

⁶ सीआईसी में जब तक प्रत्येक एसएचजी का डाटा बेस एकत्रित नहीं होता, तब तक संबंधित एसएचजी द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर यह सूचना एकत्रित की जाए, और उस पर निर्भर किया जाए। एसएचजी खाता नियमित होने की स्थिति में 17.2 लागू नहीं होगा।

⁷ सभी एसएचजी को पहले से ही यह तय करना होगा कि वे एसएचजी ऋण का उपयोग कैसे करेंगे। जहां व्यक्तिगत सदस्यों को रु 30,000 से अधिक ऋण के वास्तविक वितरण के लिए सहमति हुई है अथवा जहां बैंक से ऋण लेते समय सहमति न होने के बावजूद व्यक्तिगत सदस्यों को रु 30,000 से अधिक ऋण संवितरण किया गया है, वहां एसएचजी के पदाधिकारियों द्वारा बैंक को से रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस शर्त का अनुपालन न करने पर एसएचजी को आगे ऋण देते



19 सदस्य द्वारा अन्य स्रोतों से लिया गया व्यक्तिगत ऋण।		चरण I में तो सीआईसी रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर यह सूचना संकलित की जाए।	चरण II के दौरान, यह सूचना अधिक ठोस आधार पर एकत्रित की जाए, अर्थात्, जब सदस्य अपने पूर्व के उधारों के बारे में घोषणा कर दे, तब यदि सीआईसी के पास सूचना उपलब्ध न हो, तो वैयक्तिक बैंक / एमएफआई से रिपोर्ट मांगी जाए।
--	--	--	--

समय या अगली बार कैश क्रेडिट सीमा में संशोधन करते समय इसे ध्यान में रखा जाएगा। बैंकों को अपने ऋण करार में समूह ऋण की राशि से लिए गए ऋण की राशि से संबंधित गलत सूचना देने के लिए दंड प्रावधान का उचित खंड शामिल करना आवश्यक है। बैंक अपने अनुभव के आधार पर ऐसे मामलों में, जहां एसएचजी ऋण की प्रति सदस्य औसत राशि रु 20000/- से अधिक है, बैंक ऋण में से वितरित किए गए ऋण का रिकार्ड रखने पर जोर दे सकते हैं।



सारणी 2: प्रत्येक एसएचजी सदस्य से एकत्रित की जानेवाली सूचना, जहां एसएचजी सदस्य को दिया जाने वाला या सदस्यों द्वारा लिया जानेवाला ऋण रु.30,000⁸ तक है।

अपेक्षित ब्यौरे	दिए गए ब्यौरे	आधार	चरण II के दौरान संशोधन
1. ऋणेतर सूचना			
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा दिया जाएगा	
2. एसएचजी की बचत बैंक खाता सं.		एसएचजी सदस्य द्वारा दी जाएगी	
3. एसएचजी की ऋण खाता सं.		बैंक द्वारा दी जाएगी	
4. एसएचजी सदस्य का नाम		बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज या बैंक रिकार्ड के अनुसार	
5. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज		आधार कार्ड सं./ मतदाता पहचान पत्र/ पीएएन/ ड्राइविंग लाईसेंस / नरेगा कार्ड / पासपोर्ट ⁹	
6. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज की विशिष्ट सं. यदि		दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक	

⁸ नए एसएचजी को ऋण मंजूर करते समय या विद्यमान ऋण के नवीकरण के समय या विद्यमान एसएचजी को अतिरिक्त ऋण मंजूर करते समय एकत्रित करना हैं। अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से, एसएचजी ऋण सेगमेंट में 10% से अधिक सकल एनपीए अनुपात होनेवाले बैंक इस सारणी में दर्शायी गयी सूचना/ आंकड़े एकत्रित करने के लिए निम्न सीमा निर्धारित करें। इस राशि में सदस्य के अपने बचत से किसी भी गतिविधि या ऋण जिस प्रयोजन से लिया गया है (दोनों अंतिम चरण या प्रारंभिक चरण) से संबंधित कोई सब्सिडी या मार्जिन शामिल नहीं होगा।

⁹ बैंक विशेष रूप से यह देखें कि क्या कोई एसएचजी सदस्य "रिजर्व बैंक द्वारा पहचान के प्रमाण के रूप में सरलीकृत उपायों की शुरुआत करने" के संबंध में बैंकिंग विनियमन विभाग का 25 फरवरी 2016 के के परिपत्र बैंकिंग वि. एएमएल. बीसी. सं.81/14.01.001/2015-16 के दायरे में आते हैं, और उन्हें छोटे जमा खातों / बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलने का प्रस्ताव दें। जहाँ भी स्वयं सहायता समूह का कोई सदस्य इस तरह का खाता खोलने के लिए इच्छुक है, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार केवाईसी किया जाए और सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री तथा सीआईसी को सूचित किया जाए। यदि बचत बैंक खाता खोलते समय स्वयं सहायता समूह के सदस्य के संदर्भ में पहले से ही केवाईसी किया गया है, तो कोई दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं है।



उपलब्ध हो				
7. पिता / पति का नाम		बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज के अनुसार		
8. स्त्री या पुरुष		एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किए गए अनुसार		
9. जन्म तिथि (यदि पहचान पत्र पर मुद्रित हो)		तिथि/ माह /वर्ष		
10. पता (संपूर्ण पता राज्य कोड और पिन कोड सहित)		घोषणा आधार पर ¹⁰		
11. अन्य विद्यमान बैंक खातों से संबंधित सूचना		घोषणा आधार पर		
12. शिक्षा का स्तर	<u>प्रयोग किया जाने वाला कोड</u> निरक्षर: 1 5 वीं उत्तीर्ण: 2 8 वीं उत्तीर्ण: 3 10 वीं उत्तीर्ण: 4 10 वीं से अधिक :5	घोषणा आधार पर		
13. पेशा	<u>प्रयोग किया जाने वाला कोड</u> गृहिणी : 1 भूमिहीन श्रमिक: 2 सीमांत कृषक: 3 छोटे कृषक : 4	घोषणा आधार पर		
14. वार्षिक आय हजार रुपयों में.		घोषणा आधार पर		

¹⁰ जब भी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का गठन होता है, बैंकों को उससे यह जानकारी प्राप्त करनी है।



15. सामाजिक स्तर	<u>प्रयोग किया जानेवाला कोड</u> अजा : 1 अजजा : 2 अपिव : 3 सामान्य : 4	घोषणा आधार पर		
16. मोबाईल संख्या (यदि हो)		घोषणा आधार पर		
॥ ऋण संबंधी सूचना ¹¹				
17. वर्तमान ऋण की सूचना - अन्य एसएचजी के माध्यम से जहां व्यक्ति एक सदस्य है। <i>17.1 एसएचजी खाते की स्थिति</i> <input type="checkbox"/> एसएचजी का नाम <input type="checkbox"/> एसएचजी की ऋण खाता संख्या <input type="checkbox"/> ऋण देनेवाले बैंक का नाम <input type="checkbox"/> उधार ली गई राशि <input type="checkbox"/> बकाया राशि <input type="checkbox"/> खाते की स्थिति <input type="checkbox"/> नियमित <input type="checkbox"/> चूककर्ता <input type="checkbox"/> चुकौती की गई <input type="checkbox"/> न्यायाधीन	चरण I में एकत्रित नहीं करनी है।	बैंक द्वारा सीआईसी से प्राप्त की गई रिपोर्ट या बैंक रिपोर्ट (सीआईसी रिपोर्ट न होने की स्थिति में) के आधार पर बैंक द्वारा सीआईसी से प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध हो।		केवल चरण II में बैंक द्वारा सीआईसी से प्राप्त की गई रिपोर्ट के आधार पर एकत्रित करनी है।

¹¹ समूह ऋण रु. 1,00,000/- तक होने की स्थिति में लागू नहीं।



18. सदस्य द्वारा अन्य स्रोतों से लिया गया व्यक्तिगत ऋण।	चरण I में संकलित नहीं किया जाना है।			चरण II में संकलित किया जाना है; सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध हो।
19. बैंक द्वारा एसएचजी को प्रदान किए गए समूह ऋण में से लिए जाने वाले ऋण की प्रस्तावित राशि		चरण I में : एसएचजी के अध्यक्ष / सचिव के पत्र के आधार पर राशि का रिकार्ड रखना है।		चरण II में : एसएचजी रिकार्ड के आधार पर बैंकों को ऋण राशि का सत्यापन करना है।



II. सीआईसी को अपलोड / प्रस्तुत की जानेवाली सूचना
सारणी 3¹²: बैंकों द्वारा सभी एसएचजी सदस्यों पर सीआईसी को रिपोर्ट की जानेवाली सूचना

I. ऋणेतर सूचना		चरण II के दौरान संशोधन
1. नाम (पहचान दस्तावेज के अनुसार)		
2. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज का प्रकार		
3. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या यदि उपलब्ध हो.		
4. जन्म-तिथि (तिथि/ माह /वर्ष)		
5. पिता /पति का नाम		
6. पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ संपूर्ण पता)		
7. स्त्री या पुरुष		
8. व्यक्ति जिस एसएचजी का सदस्य है उसका नाम		
9. एसएचजी की बचत बैंक खाता सं.		
10. एसएचजी की ऋण खाता संख्या		
11. किसी अन्य पहचान दस्तावेज की संदर्भ संख्या, जिस पर बैंक ने भरोसा किया है		
12. एसएचजी सदस्य की शिक्षा का स्तर	<u>प्रयोग किया जानेवाला कोड</u> निरक्षर : 1 5 वीं उत्तीर्ण : 2 8 वीं उत्तीर्ण : 3 10 वीं उत्तीर्ण : 4	

¹² भारतीय रिजर्व बैंक ने आंकड़ों के प्रारूप की निरंतर आधार पर समीक्षा तथा यथावश्यक परिवर्तन हेतु संस्थागत व्यवस्था के रूप में विभिन्न ऋण संस्थाओं तथा सीआईसी के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक स्थायी तकनीकी कार्य-दल का गठन किया है। यह समूह बैंकों द्वारा सीआईसी को आंकड़े रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए सारणी 3 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपयोगी बनाएगा।



	10 वीं से अधिक : 5	
13. वार्षिक आय	<u>प्रयोग किया जानेवाला कोड</u> गृहिणी : 1 भूमिहीन श्रमिक : 2 सीमांत कृषक : 3 छोटे कृषक : 4	
14. पेशा		
15. सामाजिक स्तर	<u>प्रयोग किया जानेवाला कोड</u> अजा : 1 अजजा : 2 अपिव : 3 सामान्य : 4	
16. मोबाईल सं.		
II. ऋण संबंधी सूचना ¹³		
17. एसएचजी ऋण से सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की राशि, यदि 30000 रुपये से अधिक है		राशि पर ध्यान दिए बिना एसएचजी ऋण में से सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की राशि

¹³ समूह ऋण रु. 1,00,000/- तक होने की स्थिति में लागू नहीं



सारणी 4: एसएचजी के नए बचत बैंक खाता खोलते समय प्रत्येक एसएचजी सदस्य के संबंध में संकलित की जाने वाली सूचना

अपेक्षित ब्यौरे	दिए गए ब्यौरे	आधार
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा भरा जाएगा
2. एसएचजी की बचत बैंक खाता संख्या		बैंक द्वारा दिया जाएगा
3. एसएचजी सदस्य का नाम		बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज के अनुसार
4. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज		आधार कार्ड सं./मतदाता पहचान पत्र/ पीएएन / ड्राइविंग लाईसेंस / नरेगा कार्ड /पासपोर्ट ¹⁴
5. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या, यदि उपलब्ध हो		दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक
6. पिता / पति का नाम		बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज में दिए गए अनुसार
7. स्त्री या पुरुष		एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किए गए अनुसार
8. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज पर मुद्रित है)		तिथि/ माह /वर्ष
9. पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ संपूर्ण पता)		घोषणा के आधार पर ¹⁵
10. अन्य विद्यमान बैंक खातों की जानकारी		घोषणा के आधार पर

¹⁴ बैंक विशेष रूप से यह देखें कि क्या कोई एसएचजी सदस्य " रिजर्व बैंक द्वारा पहचान के प्रमाण के रूप में सरलीकृत उपायों की शुरुआत करने " के संबंध में बैंकिंग विनियमन विभाग का 25 फरवरी 2016 के परिपत्र बैंकिंग वि. एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 के दायरे में आते हैं, और उन्हें छोटे जमा खातों / बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोलने का प्रस्ताव दें। जहाँ भी स्वयं सहायता समूह का कोई सदस्य इस तरह का खाता खोलने के लिए इच्छुक है, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार केवाईसी किया जाए और सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री तथा सीआईसी को सूचित किया जाए।

¹⁵ जब भी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का गठन होता है, बैंकों को उससे यह जानकारी प्राप्त करनी है।



11. शिक्षा का स्तर	<u>प्रयोग किया जानेवाला कोड</u> निरक्षर : 1 5 वीं उत्तीर्ण : 2 8 वीं उत्तीर्ण : 3 10 वीं उत्तीर्ण : 4 10 वीं से अधिक : 5	घोषणा के आधार पर
12. पेशा	<u>प्रयोग किया जानेवाला कोड</u> गृहिणी : 1 भूमिहीन श्रमिक : 2 सीमांत कृषक : 3 छोटे कृषक : 4	घोषणा के आधार पर
13. वार्षिक आय हजार रुपयों में		घोषणा के आधार पर
14. सामाजिक स्तर	<u>प्रयोग किया जानेवाला कोड</u> अजा: 1 अजजा: 2 अपिव: 3 सामान्य : 4	घोषणा के आधार पर
15. मोबाईल संख्या (यदि उपलब्ध है)		घोषणा के आधार पर